राजस्थान सरकार
ग्रा णि विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 1(2 ग्रावि/नरेगा/मा.द./2012-13 जयपुर, दिनां 16 MAY 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त (राजस्थान)।

विषय :- रोजगार दिवस के आयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 04.03.2014 तथा 6.03.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ करावें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों में विशेष रोजगार शिविरों के आयोजन हेतु निर्देशित किया गया था। संयुक्त सचिव, (मनरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा माह अप्रैल, 2014 में राजस्थान यात्रा के दौरान यह ऑब्जर्व किया है कि पंचायत स्तर पर प्रत्येक गुरूवार को आयोजित होने वाले इन रोजगार दिवसों के बारे में राज्य स्तर से जारी विभागीय निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की जा रही है। प्रत्येक गुरूवार को आयोजित होने वाले रोजगार दिवसों की प्रक्रिया का जिला कलेक्टर के स्तर से गहन पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। इस दृष्टि से राज्य की कार्य कुशलता नीचे नहीं जानी चाहिए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तर से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक गुरूवार को रोजगार दिवस नियमित आयोजन करवाया जाकर ग्राम पचांयत स्तर पर प्रत्येक गुरूवार को रोजगार की मांग का संकलन किया जावें एवं रोजगार की मांग करने वाले परिवारों को फार्म न.0 6 की प्राप्ति की दिनांकित रसीद अनिवार्य रूप से दी जावें

रोजगार मांग का संकलन एवं तदनुसार नरेगा कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही का प्रभावी मॉनिटरिंग आप स्वयं द्वारा कराने का श्रम करावे तथा मनरेगा अधिनियम, 2005 के तहत इस महत्वपूर्ण प्रावधान की पूर्ण कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय.

16/5/14

(संजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर एवं जोधपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
4. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
5. श्री रिंकु छीपा को ई-मेल वास्ते।
6. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस